

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 17/2017 RCMS No. 2017/00096

दायरा तिथि : 14.07.2017

प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.08.2019

फाईनल डिक्री दिनांक 30.10.2019

वादीगण :-

1. रतनकंवर पुत्री करणसिंह
2. सजन कंवर पुत्री करणसिंह  
जातिगण रावणा राजपूत, निवासीगण भीटवाडा  
निवासीगण भीटवाडा तहसील बाली,

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :-**

1. हिम्मतसिंह पुत्र करणसिंह
2. दिलीपसिंह पुत्र हुकमसिंह
3. रणवीरसिंह पुत्र हुकमसिंह
4. सन्तोष कंवर पत्नि हुकमसिंह  
जातिगण राजपूत, निवासी भीटवाडा, तह. बाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**उपस्थिति :-**

1. श्री दिलीप चौधरी
2. श्री गणपतलाल गर्ग
3. श्री हनुमानसिंह चौहान
4. तहसीलदार, बाली

अभिभाषक वादीगण की ओर से  
अभिभाषक प्रतिवादी सं0-01 की ओर से  
अभिभाषक प्रतिवादी सं0-04 की ओर से  
पेरोकार सरकार

**--:: निर्णय ::--**

दिनांक : 30-10-2019

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के संयुक्त सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमि सरहद मौजा भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 704, 705, 707, 708, 736 कुल रकबा 3.36 हैक्टर किस्म चाही व बरानी वार्षिक लगान रुपये 65.76 के अधिकार अभिलेखों में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह P.W- 01 सज्जनकंवर पुत्री करणसिंह व गवाह P.W- 02 रतनकंवर के बयान कराये गये। प्रकरण में उभय पक्ष वकुलाय को सुनने के पश्चात् दिनांक 06.08.2019 को बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/विविध/ 2019/ 3891 दिनांक 21.10.2019 से निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित किये गये:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा ( हैक्टर)	किस्म	लगान (रुपयो में)	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
हिम्मतसिंह पुत्र करणसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705	0.28	चा.प्र 0.15	6.15	लाल
	जा.अ.0.13			1.82	
	707/1	0.18	चा.प्र. 0.14	5.74	
	जा.अ .0.04			0.56	
	708/2	0.04	चा.प्र.	1.64	
736	0.2975	बा. दो.	1.49		
	<b>04</b>	<b>0.7975</b>	<b>-</b>	<b>17.40</b>	
रतनकंवर पुत्री करणसिंह जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार	705/1	0.22	चा.प्र 0.12	4.92	आकाशी
	जा.अ.0.10			1.40	
	704	0.06	चा.प्र. 0.02	0.82	
	जा.अ .0.04			0.56	
	708	0.22	चा.प्र. 0.04	1.64	
जा.अ. 0.18			2.52		
736/2	0.2975	बा. दो.	1.49		
	<b>4</b>	<b>0.7975</b>	<b>-</b>	<b>13.35</b>	

योग



// 02 //

राजस्थान वाद प्रकरण संख्या : 17/2017 RCMS No. 2017/00096 अनवान रतनकंवर वगैरा बनाम हिम्मतसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 53,88, 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

सजनकंवर पुत्री करणसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705/2	0.24	चा.प्र. 0.15	6.15	हरा
	704/1	0.04	जा.अ. 0.09	1.26	
	707/2	0.05	चा.प्र. 0.02	0.82	
	708/1	0.17	जा.अ. 0.02	0.28	
	736/3	0.2975	जा.अ. 0.70	0.70	
योग	5	0.7975	बा.अ. 0.16	2.24	
			चा.प्र. 0.01	0.41	
			बा.दो.	1.49	
			-	13.35	
सन्तोष कंवर पत्नि हुकमसिंह रणवीरसिंह दिलीपसिंह पि. हुकमसिंह रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705/3	0.28	चा.प्र. .18	7.38	गुलाबी
	707	0.22	जा.अ. 0.10	1.40	
	736/1	0.2975	चा.प्र. 0.14	5.74	
योग	3	0.7975	जा.अ. 0.08	1.12	
			बा.दो.	1.48	
			-	17.12	
हिम्मतसिंह पुत्र करणसिंह रतनकंवर सज्जन कंवर पुत्रीया करणसिंह सन्तोष कंवर पत्नि हुकमसिंह रणवीरसिंह दिलीपसिंह पि. हुकमसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705/4	0.12	चा.प्र. 0.08	3.28	नीला
	707/3	0.02	जा.अ. 0.04	0.56	
	708/3	0.03	जा.अ.	0.28	
			जा.अ.	0.42	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संबंध में वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री दिलीप चौधरी ने बहस में तहसीलदार बाली से विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी कदर विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान ने भी विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के संबंध में दोनों पक्षों के वकूलाय द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति/एतराज नहीं किया है, लिहाजा तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट अनुसार सरहद मौजा भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 704, 705, 707, 708, 736 कुल रकबा 3.36 हैक्टर किस्म चाही व बारानी वार्षिक लगान रुपये 65.76 के संबंध में निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है :-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा ( हैक्टर)	किस्म	लगान (रुपये में)	नजरी नक्शों में दर्शित रंग
हिम्मतसिंह पुत्र करणसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705	0.28	चा.प्र 0.15	6.15	लाल
	707/1	0.18	जा.अ.0.13	1.82	
	708/2	0.04	चा.प्र. 0.14	5.74	
	736	0.2975	जा.अ .0.04	0.56	
	योग	04	0.7975	चा.प्र. 1.64	
			बा. दो.	17.40	
रतनकंवर पुत्री करणसिंह जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार	705/1	0.22	चा.प्र 0.12	4.92	आकाशी
	704	0.06	जा.अ.0.10	1.40	
	708	0.22	चा.प्र. 0.02	0.82	
	736/2	0.2975	जा.अ .0.04	0.56	
	योग	4	0.7975	चा.प्र. 0.04	
			जा.अ. 0.18	2.52	
			बा. दो.	1.49	
			-	13.35	
सजनकंवर पुत्री करणसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705/2	0.24	चा.प्र. 0.15	6.15	हरा
	704/1	0.04	जा.अ. 0.09	1.26	
	707/2	0.05	चा.प्र. 0.02	0.82	
	708/1	0.17	जा.अ. 0.02	0.28	
	736/3	0.2975	जा.अ. 0.70	0.70	
योग	5	0.7975	जा.अ. 0.16	2.24	
			चा.प्र. 0.01	0.41	
			बा.दो.	1.49	
			-	13.35	



अप - खण्ड अधिकारी, बाली

चेज लगातार.....0

// 03 //

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 17/2017 RCMS No. 2017/00096 अनवान रतनकंवर वगैरा बनाम हिम्मतसिंह वगैरा अंतर्गत धारा 53,88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सन्तोष कंवर पत्नि हुकमसिंह रणवीरसिंह दिलीपसिंह पि. हुकमसिंह रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705/3 707 736/1	0.28 0.22 0.2975	चा.प्र. .18 जा.अ. 0.10 चा.प्र. 0.14 जा.अ. 0.08 बा.दो. 1.48	7.38 1.40 5.74 1.12 1.48	गुलाबी
<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0.7975</b>	<b>—</b>	<b>17.12</b>	
हिम्मतसिंह पुत्र करणसिंह रतनकंवर सज्जन कंवर पुत्रीया करणसिंह सन्तोष कंवर पत्नि हुकमसिंह रणवीरसिंह दिलीपसिंह पि. हुकमसिंह कौम रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	705/4 707/3 708/3	0.12 0.02 0.03	चा.प्र. 0.08 जा.अ. 0.04 जा.अ. जा.अ.	3.28 0.56 0.28 0.42	नीला

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 65.76 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शों में तरमीम हेतु तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का भीटवाडा को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

*Aravind*  
( श्री श्रीनिधिं बी.टी. )

आई.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 30-10-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Aravind*  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

